तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30-10-19	वकील वादी उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित पक्षकारान को सुना गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी खारिज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (कपील यादव) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 059/2017 अनवान हरदेवाराम बनाम सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 054/2017

हरदेवाराम पुत्र श्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी सुभानवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। — — वादी

–:: बनाम ::–

1 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।

2 अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. डिविजन–1, (सिंचित क्षेत्र विकास), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र भूवांल अधिवक्ता — वादी
2. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 1
3. श्री सोहनलाल सहारण अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 3

दिनांक :– 30.10.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. खाता संख्या 134/133 पत्थर नम्बर 43/226 (76) किला नम्बर 1 से 4, 6 से 15 18, 21 तादादी 3.745 हैक्टर नहरी अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन दर्ज रिकार्ड है। इस कृषि भूमि में मुझ प्रतिवादी का 3/4 हिस्सा व बहिन का 1/4 हिस्सा दर्ज है, लेकिन यह भूमि मुझ वादी के ही कब्जा काश्त में है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वादी की कृषि भूमि में पत्थर नम्बर 43/226 (76) किला नम्बर 14, 15, 18, से 21 में एल.एल.डब्ल्यू. नहर कुत्तरी बनी हुई है। इन किलों में वादी के पास पत्थर नम्बर 43/226 (76) किला नम्बर 14/.202, 15/.063, 18/.051, 19/.153, 20/.215, 21/.025 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है, जो वादी के कब्जा काश्त में है। चुँकि इन किलों के कुछ हिस्सों में से नहर निकली हुई है। नहर पूर्व में कच्ची थी, जिसे बाद में पक्का किया गया है, नहर पक्का करते वक्त मुख्य लाईन से वी की कृषि भूमि की और खिसकाते हुए इसे पक्का निर्मित किया गया है। वादी ने उसी समय भी आपत्ति की थी लेकिन वादी को यही कहा गया कि नहर की सीमा में ही नहर का पक्का निर्माण किया गया, लेकिन अब प्रतिवादीगण कच्ची नहर की सीमा को भी मानते हुए वादी की कृषि भूमि में अनाधिकृत तौर पर खाला निर्माण करने हेतु प्रयासरत है व इसके साथ ही वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें पक्का खाला का निर्माण प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा व वृक्षारोपण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना है जिसके अनुसरण में वे मौका पर कार्यवाही कर रहे है।

वादी की खातेदारी कृषि भूमि में उपरोक्त किलो में कहीं भी नहर व खाला व वन विभाग के वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी के इन किलो में वादी की खातेदारी भूमि में अनावश्यक रूप से उपयोग व उपभोग से वंचित करने के आशय से प्रयासरत होकर प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त अनुचित कृत्य करने हेतु प्रयास किया जा रहा है जबकि वादी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करनें का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

सहायक कलक्टर
अधिकारी

लगातार ....

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के इस अनुचित कृत्य के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन गया कि वे वादी की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार से पक्का खाला व वृक्षारोपण करे। वादी की कृषि भूमि पैमाईश कर पूरी करने के पश्चात शेष नहर की भूमि की दूरी में यह कार्य करें जिसमें वादी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा की खातेदारी भूमि में अनुचित हस्तक्षेप करने के कारण व उनके द्वारा पिछले सप्ताह र कर देने से वादी को यह वाद कारण हासिल हुआ है।

वादी की उपरोक्त कृषि भूमि में अगर पक्का खाला का निर्माण कर दिया जाता है व वश्क रूप से वृक्षारोपण कर दिया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को नी खातेदारी कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है समें किसी प्रकार का व्यवधान कारित करने की अधिकारिता प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं वादी प्रतिवादीगण के इस अनुचित व अवैधानिक कृत्य के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त रने का अधिकारी है।

प्रतिवादीगण के इस अनुचित कृत्य से वादी को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग व पभोग करने में अनावश्यक रूप से परेशानी उठानी पड़ेगी व प्रतिवादीगण अतिशीघ्र ही यह नुचित कार्यवाही करने हेतु प्रयासरत है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिन्हें वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। इस कारण अगर वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की कार्यवाही की जाती है तो प्रतिवादीगण द्वारा अतिशीघ्र ही वादी की खातेदारी भूमि में अनुचित हस्तक्षेप हो जाने की पूर्ण आंशका है। इस कारण वादी धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस की पालना किये बिना ही यह दावा प्रस्तुत कर रहा है जो कानूनी रूप से ग्रहण किये जाने योग्य है व बिना नोटिस दिये जाने से वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके तहत भी वादी का वाद ग्रहण किये जाने योग्य है।

विवादग्रस्त आराजी तहसील हनुमानगढ़ में स्थित है, इस कारण वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद–पत्र वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :–

(क) स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वे वादी की कृषि भूमि चक 29 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 43/226 (76) किला नम्बर 14/.202, 15/.063, 18/.051, 19/.153, 20/.215, 21/.025 में किसी प्रकार का पक्के खाले का निर्माण व वृक्षारोपण नहीं करें तथा वादी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

(ख) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित हो, वादी के पक्ष में जारी फरमाया जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि सिंचाई विभाग की लैंड लाईन के हिसाब से काश्तकारों की उपस्थिति में वृक्षारोपण सन् 2016 में किया गया था। सिचाई विभाग की लैंड लाईन क अनुसार नहर की सीमा में ही वृक्षारोपण किया गया है। वादी की कृषि भूमि में वृक्षारोपण नहीं किया गया है व ना ही वादी को अपनी कृषि भूमि का उपयोग व उपभोग करने से रोका गया है।

प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नहर की सीमा में लैंड लाईन के आधार पर मौका पर वृक्षारोपण किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया है, इसलिए वादी को प्रविवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं है। पक्का खाला व वृक्षारोपण नहर की सीमा में ही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं किया जा रहा है। इसलिए वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई या किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

सहायक कलेक्टर उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

...वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिया कानूनी रूप से आवश्यक है। उक्त नोटिस के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है व ना ...धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने का ...री है, इसलिए दावा ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है। अन्त में याचित अनुतोष "क" ...त "ग" से इन्कारी है।

अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी मय खर्चा ...ज फरमाया जावें व खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट उत्तमसिंह वाला ...र्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश कर प्रार्थी को ...तोष की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए प्रार्थी निवेदन करता है कि इस संबंध में ...सीलदार राजस्व हनुमानगढ को आदेशित फरमाया जावें कि वे वादी की कृषि भूमि की ...ईश कर इस संबंध में उचित निशानदेही देवे जिससे कि मामला का निस्तारण हो सके।

प्रकरण के सन्दर्भ में राज पैरोकार द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं करते हुए कथन किया ...ा कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा ...या है। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के सम्बध में पैमाईश बाबत कभी किसी प्रकार का ...कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादी की भूमि की पैमाईश हो सके। ...वादी अपनी खातेदारी भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई अनुतोष चाहता है, तो वह नियमानुसार सक्षम अधिकारी के पास अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः वाद वादी पैमाईश हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करनें के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरी खातेदारी भूमि में जबरदस्ती खाला निर्माण व वृक्षारोपण किया जा रहा है। चुँकि मेरी खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादाधीन खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करनें हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित करें ताकि वादी के अधिकार सुरक्षित रह सके।

–:: आदेश ::–

हमने समायत बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30-10-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

...उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

...अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

...वाद संख्या :– 059 / 2017

...हरदेवराम पुत्र श्री गुरदयाल जाति मेघवाल निवासी सुभानवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़।
2 अधिशाषी अभियन्ता, गंगनहर, ओ.एफ.डी. डिविजन–1, (सिंचित क्षेत्र विकास), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 उपवन संरक्षक, वन विभाग, हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़)। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 188, आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांक :– 30.10.2019

वादी की और से श्री राजेन्द्र भूवांल अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की और से राज पैराकार तथा प्रतिवादी संख्या 3 की और से श्री सोहनलाल सहारण इस वाद में आज दिनांक 30.10.2019 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के साथ अपनी खातेदारी भूमि की करवाई गई पैमाईश बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे कार्य की भूमि में वादी का स्वामित्व (Title) सिद्ध हो सके। अतः वाद वादी स्वामित्व (Title) के अभाव में वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाकर वादी को आदेशित किया जाता है, कि वे समक्ष अधिकारी के समक्ष अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व (Title) के सम्बंध में वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30-10-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

वाद के खर्चे :–

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.28 17:07:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: